(च) क्या यह भी सच है कि इन दोनों क्षेत्रों की अधिकतर इकाईयां दूर-दराज के क्षेत्रों में फैली हुई है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) हथकरघा बुनकरों को कच्चे माल की उपलब्धता में कोई कठिनाई नहीं है लेकिन शिकायत सूत के मूल्यों में वृद्धि/इसके मूल्यों में उतार-चढ़ाव से संबंधित है।

(ख) जी हां।

(ग) जी, हां।

(घ) हथकरघा क्षेत्र में सूत की वार्षिक आवश्यकता का अनुमान 400 मिलियन किलोग्राम लगाया गया है। पावरलूम और हौजरी क्षेत्र में सूत की वार्षिक आवश्यकता लगभग 1000 मिलियन किलोग्राम है।

(ङ) सरकार ने हथकरघा व पावरलूम क्षेत्रों में सूत की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे :—

(1) नई औद्योगिक नीति का सरलीकरण जो कताई क्षेत्र में वर्तमान इकाईयों का विस्तार क्षमता और नई इकाईयों में क्षमता सृजन करने की अनुमति देता है बशर्ते स्थानीय बाधायें न हों।

(2) बुनकर सहकारी क्षेत्र में कताई मिलों की स्थापना के लिए सहायता; और

(3) हैंक यार्न दायित्व आदेश।

(च) हथकरघा क्षेत्र में तो ऐसा है ही लेकिन पावरलूम अधिकांश रूप से देश के विशेष क्षेत्रों में केन्द्रित हैं।

राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत रुग्ण कपड़ा मिलों का बन्द किया जाना

1018. **डा. जिनेन्द्र कुमार जैन** :

श्री राम जेठमलानी :— क्या **वस्त्र** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के तहत चलने वाली कपड़ा मिलों को बन्द करने का फैसला किया ;

(ख) यदि हां, तो ऐसी मिलों की राज्यवार संख्या कितनी है ;

(ग) इन कपड़ा मिलों को बन्द किए जाने के कारण बेरोजगार होने वाले कामगारों की संभावित संख्या कितनी है ;

(घ) क्या सरकार इन कामगारों के पुर्नावास हेतु इन्हें कहीं और काम देने की किसी योजना पर सोच-विचार कर रही है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इन मिलों के बन्द किए जाने के फल-स्वरूप राष्ट्रीय वस्त्र निगम के वार्षिक घाटे में कितनी कमी होने की संभावना है ?

वस्त्र मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री जी. वेंकट स्वामी) : (क) से (ङ) सरकार ने राष्ट्रीय वस्त्र निगम के लिए एक सर्वांगीण सुधार नीति का अनुमोदन किया है। चुनिन्दा आधुनीकीकरण, वित्तीय पुनर्निर्माण तथा स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना द्वारा फालतू श्रमिक बल का सुव्यवस्थीकरण करना इस नीति के प्रमुख अंग हैं। स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना की पेशकश उन दीर्घकालिक रुग्ण मिलों के अधिकारियों, कर्मचारियों तथा कामगारों को भी की जाएगी जिनके अर्थक्षम होने की कोई संभावना नहीं है तथा जिन्हें बन्द करना अथवा निकटस्थ एककों के साथ मिलाना पड़ सकता है ताकि अर्थक्षमता सुनिश्चित की जा सके। तथापि, अलग-अलग मिलों को बनाए रखने अथवा बन्द करने के प्रश्न को स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना तथा अन्य सम्बद्ध कारकों का उनकी अर्थक्षमता पर पड़ने वाले प्रभाव का मूल्यांकन करने के बाद ही उठाया जाएगा। ऐसी परिकल्पना की गई है कि एन टी सी के लगभग 75,000 कामगार स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना का लाभ उठायेंगे। सर्वांगीण सुधार नीति में भी सुव्यवस्थित किए गए कामगारों को पुनः प्रशिक्षण तथा पुनः नियुक्ति करने के लिए 50 करोड़ रु. की राशि से पुनर्वासन निधि का सृजन किया गया है। ऐसी आशा है कि इस सर्वांगीण सुधार नीति के सफल कार्यान्वयन से लगभग 3 वर्षों में राष्ट्रीय वस्त्र निगम का कायाकल्प हो जाएगा।